भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय
मानव संसाधन प्रबंध विभाग

01 अक्तूबर 2026 के प्रभाव से 30 सितंबर 2027 तक वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए ई-निविदा

ई-निविदा संख्या: 2026_RBI_289802

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) वर्ष 2026-27 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है।

2. समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) की नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक होगी। फर्म को अधिकतम दो वर्षों के लिए समान नियमों और शर्तों पर, बैंक द्वारा सीए के कार्य-निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अनुसार उनके संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन फिर से नियुक्त किया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष यानी दूसरे वर्ष (01 अक्तूबर 2027 से 30 सितंबर 2028) और तीसरे वर्ष (01 अक्तूबर 2028 से 30 सितंबर 2029)।

3. निविदा प्रक्रिया सीपीपी पोर्टल के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से निष्पादित की जाएगी (https://etenders.gov.in)। इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

4. सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in) पर ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे तक है। ई-निविदा का भाग- । (तकनीकी बोली) 22 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। किसी भी उपरोक्त तिथि को अवकाश के रूप में घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए सक्रिय हो जाएगा।

5. निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in 'निविदा' अनुभाग के तहत और वेबसाइट https://etenders.gov.in दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है। केवल पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत निविदाएं, कैप्शन प्रक्रिया के लिए स्वीकार की जाएंगी। निविदाएं, यदि उक्त तिथि और समय के बाद (किसी भी मोड में) प्राप्त होती हैं, तो बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।

6. निविदाकर्ता को बोली जमा करने से पहले किसी भी संशोधन/ शुद्धिपत्र/ स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट/ ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए। बैंक को निविदा को रद्द करने/ संशोधित करने और निविदा जमा करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

बैंक किसी भी आवेदन या सभी प्रस्तावों को, बिना कोई कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

तिरुवनंतपुरम

अस्वीकरण

लेखापरीक्षा, बजट और समन्वय कक्ष (एबीसीसी), तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी इच्छुक पार्टियों/ बोलीदाताओं की जानकारी के लिए संविदा पर यह दस्तावेज़ तैयार किया है ताकि वे इस निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों और ऐसी जानकारी से संबंधित किसी भी अन्य नियम और शर्तों के अनुसार 01 अक्तूबर, 2026 से 30 सितंबर, 2027 तक बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के संविदा के लिए बोली लगा सकें। जबकि बैंक ने इस दस्तावेज को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे क्रम में मानते हैं, न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण, एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्त या निहित करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों स्वयं पूछताछ करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है। यदि प्रतिवादियों द्वारा उचित परिश्रम नहीं किया जाता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है।

बैंक संविदा के साथ आगे न बढ़ने या संविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक इस मामले में इच्छुक किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विषय-सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	पेज नं.
1	निविदा की अनुसूची	5-6
2	ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश	7-9
3	ई-निविदा आमंत्रण सूचना	10-11
4	निविदा दस्तावेज - सामग्री	12
	I. पात्रता मानदंड	13-14
	II. मूल्यांकन मानदंड	15-16
	II (a) तकनीकी मूल्यांकन के लिए मानदंड II (b) वित्तीय मूल्यांकन के लिए मानदंड	17-21
	III. शर्तें एवं प्रावधान	22-27
	IV. कार्य का क्षेत्र	28-32
	V. कार्य का विस्तृत क्षेत्र / सारांश	33-37
	VI. फॉर्म 1 – तकनीकी बोली फॉर्म	38-41
	VII. फॉर्म- 2 – वित्तीय बोली फॉर्म	42
	VIII. फॉर्म 3 – पूर्णकालिक भागीदारों का विवरण	43
	IX. फॉर्म 4 – पूर्णकालिक नियुक्त सीए का विवरण	44
	X. फॉर्म 5 – बैंकों / आरबीआई लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण	45
	XI. वचनबद्धता	46
	XII. सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा निषेध की घोषणा संबंधी वचनबद्धता	47
	XIII. पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेज	48-49
	XIV. बैंक गारंटी का नमूना	50-53

निविदा की अनुसूची

नोट: यह सीपीपी पोर्टल के माध्यम से एक सीमित निविदा पूछताछ है। केरल राज्य की केवल श्रेणी-I सनदी लेखाकारफर्म ही इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता की जांच करने के लिए पहले हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in "निविदा" लिंक के माध्यम से जाएं। आवेदन करने की इच्छा रखने वाली पात्र फर्मों को सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in) के साथ खुद को पंजीकृत करना चाहिए और केवल ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।

A	ई-निविदा नं.	2026_RBI_289802
B	निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
C	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली के माध्यम से https://etenders.gov.in
D	ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तिथि आरबीआई की वेबसाइट पर देखने/ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	03 सितंबर 2026 पर अपराह्न 6: 00 बजे
E	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने की तिथि सीपीपी पोर्टल पर	12 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 10: 00 बजे
F	निविदा का अनुमानित मूल्य यानी न्यूनतम पारिश्रमिक	₹1,15,000/- प्रति माह (सभी लागतों सहित और जीएसटी को छोड़कर) यानी 12 महीनों के लिए ₹13,80,000 (सभी लागतों सहित और जीएसटी को छोड़कर)।
G	बयाना धन जमा (EMD)	अनुमानित लागत का 2% यानी ₹13,80,000/- (तेरह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) यानी ₹27,600/- (सत्ताईस हजार छह सौ रुपये मात्र)। सभी बोलीदाताओं द्वारा एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। **ईएमडी जमा के लिए एनईएफटी का विवरण:** लाभार्थी विवरण:

		i) लाभार्थी का नाम: एबीसी सेल, एहआरएमडी भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम ii) लाभार्थी खाता संख्या: **8614038** iii) IFS कोड: RBIS0THPA01 (5 वें और 10 वें अंक शून्य हैं) iv) टिप्पणियाँ: 2026-27 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति की दिशा में EMD – फर्म का नाम ईएमडी को प्रेषित करने का प्रमाण सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
H	लेन-देन शुल्क	लेन-देन शुल्क का भुगतान (जैसा लागू हो)
I	बैंक गारंटी	संविदा मूल्य का 5% (जीएसटी सहित) (संविदा अवधि और उससे 30 दिन बाद के लिए **सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना** है)
I	बोली-पूर्व बैठक की तिथि	11 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11: 00 बजे
J	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	बोर्ड रूम, तीसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम-695033
K	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	21 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 09: 00 बजे
L	वेबसाइट पर ई-निविदा की उपलब्धता की अंतिम तिथि	21 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 10: 00 बजे
M	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) को ऑनलाइन जमा करने को बंध करने की तिथि और समय।	21 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 10: 00 बजे
N	भाग- I (तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय	22 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11: 00 बजे
O	भाग- II (वित्तीय बोली) के खुलने की तिथि	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) के इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा प्रदान की गई वैध ई-मेल आईडी में ई-मेल के माध्यम से भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, लेखापरीक्षा बजट और समन्वय कक्ष (एबीसीसी), तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय का एक ई-खरीद प्रक्रिया कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app है।

ई-निविदा प्रक्रिया: बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

क) नए बोलीदाता का पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

तकनीकी सहायता के लिए कृपया 24*7 उपलब्ध हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क करें।

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

ईमेल सहायता:

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के लिए, कृपया संबंधित निविदा आमंत्रण प्राधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति से संबंधित- cppp-doe@nic.in

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, एबीसीसी, टी वी एम आरओ):

श्रीमती रश्मि वी प्रबंधक (एबीसी कक्ष) vrashmi1@rbi.org.in फोन नंबर: 0471-2783013 मोबाईल नंबर: +91- 8147798022	श्री हेमंत कुप्पिल्ली सहायक प्रबंधक (एबीसी कक्ष) hemanthk@rbi.org.in फोन नंबर: 0471-2783020 मोबाईल नंबर: +91- 9603640702

ई-निविदा की प्रक्रिया:

1. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को ऑनलाइन https://etenders.gov.in मे जमा करना होगा| निविदाएं निविदा में दिए गए निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

2. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

3. अपलोड की गई निविदा/ शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए, निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान की गई कॉर्पोरेट ईमेल-आईडी सीपीपीपी के साथ निविदाकर्ता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

4. ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

5. कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पक्षों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर से वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र से चूक नहीं गए हैं। **संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी।** इस एनआईटी (यदि कोई हो) को शुद्धिपत्र के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं (निविदारों) को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं।

6. **ई-निविदा में बोली:**

अ) निविदाकर्ता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करने की आवश्यकता होती है। ₹27,600/- की ईएमडी राशि भेजने का प्रमाण सीपीपी पोर्टल पर 21 सितंबर 2026 को या उससे पहले पूर्वाह्न 09:00 बजे अपलोड करना होगा।

आ) ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल निविदाकर्ता (ओं) के ईएमडी को बोली वैधता (विस्तारित वैधता सहित) की समाप्ति पर या सफल निविदाकर्ता को संविदा के पुरस्कार पर, जो भी पहले हो, लेकिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता के ईएमडी को सफल बोलीदाता से निर्दिष्ट राशि के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी प्राप्त करने पर वापस कर दिया जाएगा, जहां निविदा में निर्धारित किया गया है

ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा यदि निविदाकर्ता:

i. प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, बयानों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन करता है, किसी भी भौतिक जानकारी को दबा देता है, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पैदा कर सकता था;

ii. बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, या

iii. किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है और काली सूची अभी भी लागू है।

इ) ईएमडी के साथ नहीं बोलियां गैर-उत्तरदायी मानी जाएंगी, और बैंक द्वारा अपने विवेक पर अस्वीकार कर दी जाएंगी।

ई) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय बोली (भाग- I और भाग- II) जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

उ) सभी मामलों में, निविदाकर्ता को अपने बोलियों को जमा करते समय अपने स्वयं के आईडी और पासवर्ड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए।

ऊ) पूरे ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, निविदाकर्ता एक दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से अज्ञात रहेंगे।

ऋ) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तारीख और समय से खुला रहेगा और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ऌ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां निविदाकर्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। कोई भी बोली उस निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली मानी जाएगी और बैंक द्वारा उसकी स्वीकृति बैंक और निविदाकर्ता के बीच निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी।

ऍ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा प्रणाली द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऎ) निविदा दस्तावेज की शर्तों और नियमों से कोई विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली जमा करना उनकी निविदा के लिए शर्तों और नियमों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

7. इस निविदा से उत्पन्न किसी भी आदेश को उसमें उल्लिखित शर्तों और नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

8. तकनीकी और वित्तीय शर्तों और नियमों से कोई विचलन अनुमत नहीं है।

9. बैंक के पास इस ई-निविदा को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रद्द करने या बोली(ओं) प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार है, बिना किसी कारण के।

10. वेंडर्स से अनुरोध है कि वे जीएसटी के बिना दरें उद्धृत करें। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक वर्ष 2026-27 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक (सीए) के रूप में नियुक्ति के लिए केरल राज्य के आईसीएआई के साथ पंजीकृत श्रेणी-I सनदी लेखाकार फर्मों से दो-बोली प्रणाली के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने से पहले कार्य के दायरे, निविदा के नियमों और शर्तों का उल्लेख करना चाहिए। निविदा प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाता/ निविदाकर्ता पात्रता और उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को सफल बोलीदाता के साथ करार को निष्पादित करते समय इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए बोलीदाता को लागू करने या आवश्यक करने से नहीं रोकेगा, या यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने के लिए, इस निविदा के तहत दिए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।
3. बोलीदाता का बोलीदाता/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
4. पहले चरण में, तकनीकी बोलियां (भाग- I) 22 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आरबीआई, टी वी एम आरओ में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी। किसी भी बोलीदाता की बोली जिसने नियम और शर्तों में निर्धारित एक या अधिक शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद, चयनित तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में दी गई पद्धति के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

5. केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (भाग-II), जिन्हें पहले चरण यानी तकनीकी बोली (भाग-I) में शॉर्ट-लिस्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला जाएगा। जिन बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

6. तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियों में सीए द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी। **सशर्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

7. निविदा तकनीकी बोली (भाग- I) खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए या निविदा को अंतिम रूप देने की तारीख तक, जो भी पहले हो, स्वीकृति के लिए खुली रहेगी।
8. सूचना के मिथ्याकरण/ छिपाने से बोली लगाने वाले को अयोग्यता मिलेगी/ संविदा की अवधि के दौरान कार्य प्रदान करने के बाद भी संविदा रद्द कर दिया जाएगा।
9. किसी बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा किसी लाभ या किसी अन्य प्रलोभन का प्रचार या पेशकश करना संबंधित कानूनों के तहत अपराध होगा, जैसा कि मामले में लागू होता है। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली की अस्वीकृति होगी।

10. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

11. भाग लेने वाले बोलीदाताओं के साथ निर्धारित तिथि को एक बोली- पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बोलीदाता एबीसी कक्ष, तिरुवनंतपुरम आरओ से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। बैठक के कार्यवृत्त को सीपीपी पोर्टल/ आरबीआई वैबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। **इस बैठक के लिए कोई अलग संविदा नहीं भेजा जाएगा।** बैंक द्वारा उप-महाप्रबंधक, एबीसीसी द्वारा जारी निविदा दस्तावेज़ के अनुच्छेद के रूप में स्पष्ट रूप से बताए गए किसी लिखित स्पष्टीकरण के अलावा, बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा कोई अन्य लिखित या मौखिक संचार, प्रस्तुति या स्पष्टीकरण के तहत बैंक को बाध्य या प्रतिबंधित करने के लिए नहीं लिया जाएगा।

12. बैंक गारंटी - सफल निविदाकर्ता संविदा के निष्पादन के साथ, प्रोफार्मा के अनुसार संविदा मूल्य का @ 5% बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करेगा। बीजी संविदा अवधि की समाप्ति के बाद तीस (30) दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। ऐसे निविदाकर्ता का ईएमडी बैंक गारंटी प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा। बैंक गारंटी प्रस्तुत करने या कार्य के पुरस्कार के बाद कार्य निष्पादित करने या करार को निष्पादित करने में सफल निविदाकर्ता की विफलता पुरस्कार को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे निविदाकर्ता को किसी भी निविदा में भाग लेने या तीन साल की अवधि के लिए बैंक के साथ किसी भी व्यावसायिक लेनदेन से प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त आधार का गठन करेगी। संविदा की अवधि समाप्त होने के दो महीने बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे संविदा के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएंगे और सफल निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई देनदारी नहीं होगी। किसी भी शिकायत या लंबित बकायों के मामले में, बैंक गारंटी का भुगतान सभी बकायाओं, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही किया जाएगा।

13. सफल निविदाकर्ता कार्य प्रदान करने के सात (7) दिनों के भीतर उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आरबीआई के साथ एक करार निष्पादित करेगा। स्टांप शुल्क सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्य सौंपे जाने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के करार निष्पादित और इस निविदा दस्तावेज़ में निहित सभी निबंधन और शर्तें में किए गए हैं ।

निविदा दस्तावेज़ - सामग्री

1. वर्ष 2026-27 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रण दस्तावेज तैयार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक निविदा दस्तावेज में शामिल हैं:

भाग	विवरण
I.	पात्रता मानदंड
II.	मूल्यांकन मानदंड
II(a)	तकनीकी बोली मूल्यांकन के लिए मानदंड
II(b)	वित्तीय बोली मूल्यांकन के लिए मानदंड
III.	नियम और शर्तें
IV.	कार्य का दायरा
V	कार्य का विस्तृत दायरा
VI.	फॉर्म 1 – तकनीकी बोली फॉर्म (परिशिष्ट 1 और 2 के साथ)
VII.	फॉर्म- 2 – वित्तीय बोली प्रपत्र
VIII.	फॉर्म 3 – पूर्णकालिक भागीदारों का विवरण
IX.	फॉर्म 4 – पूर्णकालिक नियोजित सीए का विवरण
X.	फॉर्म 5 – बैंकों / आरबीआई लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण
XI.	उपक्रम
XII.	सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचन
XIII.	पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए प्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे
XIV.	सफल बोलीदाता द्वारा संविदा प्रदान करने के बाद प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप
XV.	सांकेतिक जांचसूची

2. बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, नियमों और शर्तों के दायरे जांच करे। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता जो हर तरह से निविदा दस्तावेज के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, बोलीदाता के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

3. बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ के पाठ में कोई परिवर्तन, मिटाने की क्रिया या अस्पष्टता नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

I. पात्रता मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम आरओ ने वर्ष 2026-27 के 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर, 2027 तक लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित की।

1. आवेदक फर्म को समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए केरल राज्य के लिए आईसीएआई के साथ पंजीकृत श्रेणी-I सीए फर्म होनी चाहिए।

2. आवेदक फर्म कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी या एलएलपी अधिनियम या साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म के तहत पंजीकृत एलएलपी होनी चाहिए। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन/ पार्टनरशिप डीड/ इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति जमा की जानी चाहिए।

3. आवेदक फर्म को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत होना चाहिए और पैन, जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति जमा करनी होगी।

4. आवेदक फर्म का केरल में अपना पंजीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय होना चाहिए और समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए जनशक्ति के संबंध में प्रतिस्थापन आदि की देखभाल करने के लिए तिरुवनंतपुरम में पर्याप्त जनशक्ति बनाए रखने में सक्षम होगा। किसी भी बाहरी इकाई या तीसरे पक्ष की फर्म को काम का उप-संविदा सभी परिस्थितियों में सख्त वर्जित है।

5. आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोलियां आमंत्रित करने के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक का उल्लेख किया जाना है। **न्यूनतम मासिक** पारिश्रमिक ₹1,15,000/- रुपये (एक लाख पंद्रह हजार रुपये मात्र) होगा, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा।

6. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक से कम **का संकेत देने वाली बोलियां/ आवेदन पूरी तरह से खारिज कर दिए जाएंगे**।

7. जो फर्म वर्तमान में आरबीआई के सांविधिक/ सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक/ समवर्ती लेखा परीक्षक हैं और वे फर्म जिन्होंने पिछले दिनों आरबीआई में इस तरह के लेखापरीक्षा किए हैं, लेकिन 30 सितंबर, 2026 को इस तरह के असाइनमेंट के पूरा होने के बाद से कम से कम दो साल नहीं बीते हैं, वे पात्र **नहीं हैं**। इसके अतिरिक्त, जिन फर्मों को वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए डीआईसीजीसी और एनएचबी में वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था/ नियुक्त किया गया, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। निविदा दस्तावेज के भाग-VIII में दिए गए इस आशय का एक वचन पत्र बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

8. नियुक्ति पद्धति में दो चरणों की प्रक्रिया शामिल है, जिसमें तकनीकी और वित्तीय बोली शामिल है, जिसमें दो चरणों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन में एक योग्यता मानदंड शामिल है। तकनीकी

बोली में 60 या अधिक अंक (100 में से) प्राप्त करने वाली फर्म वित्तीय मूल्यांकन के अगले चरण के लिए पात्र होंगी।

9. अंतिम मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को 70:30 के अनुपात में मिलाकर किया जाएगा, जिसमें बोलीदाता उच्चतम कुल अंक प्राप्त करेगा और नियुक्ति के लिए पात्र हो जाएगा।

10. न तो फर्म या न ही उसके किसी भी भागीदार को आईसीएआई द्वारा शुरू की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन किया जाना चाहिए था।

11. फर्म या किसी भी भागीदार को भारत या विदेश में किसी भी सरकारी/ अर्ध-सरकारी संगठन/ संस्थान द्वारा प्रतिबंधित या काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज़ के भाग-XII में दिए गए इस आशय का एक वचन पत्र बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

II. मूल्यांकन मानदंड (तकनीकी और वित्तीय)

1. बोलीदाताओं से मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करने के बाद और दी गई कार्यप्रणाली के अनुसार आवेदकों की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन पात्रता मानदंड के आधार पर किया जाएगा।
2. बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि बोलियों के मूल्यांकन में दो चरणों वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वित्तीय बोलियां खोलने से पहले तकनीकी मूल्यांकन पूरा किया जाएगा।
3. केवल उन्हीं बोलीदाताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन बैंक द्वारा किया जाएगा जो पात्रता शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं।
4. प्रेषित ईएमडी के दस्तावेजी साक्ष्य (यूटीआर संख्या सहित) को तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
5. इस निविदा में फर्म की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता सर्वोपरि आवश्यकता है। नियुक्ति का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा:

अ) केवल तकनीकी बोली में 60 या अधिक अंक (100 में से) प्राप्त करने वाली कंपनियां ही वित्तीय मूल्यांकन के अगले चरण के लिए पात्र होंगी।

आ) बैंक उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम योग्यता अंकों को पूरा नहीं करते थे या जिन्हें निविदा शर्तों के प्रति गैर-उत्तरदायी माना जाता था। बैंक एक साथ उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिन्होंने न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हैं, जो वित्तीय बोलियों को खोलने के लिए निर्धारित तिथि और समय को दर्शाते हैं। अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेजी जाएगी।

इ) वित्तीय बोलियां सार्वजनिक रूप से बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो भाग लेने का विकल्प चुनते हैं (प्रति बोलीदाता केवल एक प्रतिनिधि)। बोलीदाता का नाम, गुणवत्ता स्कोर और प्रस्तावित कीमतों को जोर से पढ़ा जाएगा और वित्तीय बोलियां खोली जाने पर दर्ज किया जाएगा। L1 को आधार मानते हुए स्कोर को सामान्य करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाएगा।

$$\textbf{Score under the financial evalution}_{\mathbf{x}} = \textbf{Lowest Financial Bid Amount } L_1 / \textbf{ Financial Bid Amount }_{\mathbf{x}}$$

ई) अंतिम मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को 70:30 के अनुपात में मिलाकर किया जाएगा, जिसमें बोलीदाता उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाला नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

उ) अंतिम मूल्यांकन के बाद टाई की स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन के चार मापदंडों के आधार पर फर्म का मूल्यांकन करके टाई को हल किया जा सकता है। (1) बैंक लेखापरीक्षा में सीए फर्मों का अनुभव (2) फर्म का अनुभव (3) पूर्णकालिक एफसीए पार्टनर्स और (4) औसत टर्नओवर, इन मापदंडों को क्रमिक रूप से माना जा रहा है, उदाहरण के लिए, यदि अंतिम मूल्यांकन के बाद फर्म 'ए' और 'बी'

के बीच एक टाई है तो 'बैंक में अनुभव' के तहत प्राप्त अंक सफल बोलीदाता के निर्णय के लिए लेखापरीक्षा के पैरामीटर पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त मापदंड के अंतर्गत भी बराबरी की स्थिति में, फर्म के अनुभव के अंतर्गत प्राप्त अंकों पर और इसी तरह आगे भी विचार किया जा सकता है।

II (ए): तकनीकी मूल्यांकन के लिए मानदंड

क्रम संख्या	पैरामीटर	स्कोरिंग स्केल	टिप्पणियां	स्कोर करना
1	सीए फर्म का अनुभव	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए आधा बिंदु (0.5)। **[अधिकतम 15 अंक]**	आईसीएआई के आंकड़ों के अनुसार स्थापना वर्ष	
2	पूर्णकालिक फेलो सनदी लेखाकार (एफसीए) भागीदार	प्रत्येक पूर्णकालिक एफसीए के लिए डेढ़ (1.5) अंक। **[अधिकतम 12 अंक]**	संख्याका पूरा समय एफसीए पूरे कैलेंडर में फर्म के साथ जुड़ा हुआ पैनल में शामिल होने के वर्ष से ठीक पहले का वर्ष।	
3	एसोसिएशन ऑफ फुल-टाइम सीए फर्म के साथ पार्टनर्स - पार्टनर्स की संख्या	• पांच साल से अधिक और सात साल तक फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए एक अंक (1.0)। • सात साल से अधिक और दस साल तक फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए भागीदार के लिए डेढ़ अंक (1.5)। • दस वर्षों से अधिक समय से फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए भागीदार के लिए दो अंक (2.0)। **[अधिकतम 10 अंक]**	सीए पार्टनर के शामिल होने की तारीख से वर्ष पूरे हो चुके हैं।	
4	प्रमुख पेशेवर कर्मचारी - पूर्णकालिक सीए कर्मचारी	पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों के लिए एक-एक अंक (1.0)। **[अधिकतम 8 अंक]**		
5	केवल लेखापरीक्षा सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य गतिविधियों से अलग) जैसे परामर्श)	• मेट्रो शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद) में ₹100 लाख के औसत टर्नओवर और इसके गुणकों पर प्रत्येक के लिए एक (1.0) अंक। • अन्य जगहों पर पूरे ₹ 60 लाख और उसके गुणकों के लिए प्रत्येक पर एक पॉइंट (1.0) मिलेगा। **[अधिकतम 10 अंक]**	उदाहरण के लिए, यदि कोई फर्म दिल्ली में स्थित है जिसका औसत कारोबार ₹ 450 लाख है, तो उसे प्रदान किया जाएगा चार अंक। गैर-मेट्रो केंद्रों में, समान कारोबार वाली फर्म को सात अंक मिलेंगे।	

6	कुशल कर्मचारियों की संख्या - सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में योग्य	प्रत्येक पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारियों के लिए चौथाई अंक (0.25) [**अधिकतम 12 अंक**]	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म में 30 पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारी हैं, तो 7.5 अंक दिए जाएंगे।	
7	समवर्ती लेखा परीक्षकों/ सांविधिक केंद्रीय/ शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म का अनुभव	समवर्ती लेखा परीक्षकों और/ या सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों और / या शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म के अनुभव के एक वर्ष के पूरे होने के लिए प्रत्येक पर आधा अंक (0.5) दिया जाएगा। [**अधिकतम 20 अंक**]	उदाहरण के लिए, यदि सीए फर्म के पास समवर्ती लेखा परीक्षक / वैधानिक केंद्रीय के रूप में बैंक लेखापरीक्षा में 17 साल का अनुभव है शाखा लेखा परीक्षक को 8.5 अंक दिए जाएंगे।	
8	बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा का आठ या अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या।	बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा के आठ या अधिक वर्षों के अनुभव वाले प्रत्येक पूर्णकालिक भागीदार के लिए एक अंक (1.0)। **[अधिकतम 4 अंक]**	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के पास बैंक वैधानिक लेखा परीक्षा के 10 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले पांच पूर्णकालिक भागीदार हैं, तो चार अंक दिए जाएंगे।	
9	आरबीआई लेखा परीक्षा के तौर में समवर्ती लेखा परीक्षक/ सांविधिक केंद्रीय/ शाखा लेखा परीक्षक का पूर्व अनुभव	• आरबीआई में लेखापरीक्षा का कोई पूर्व अनुभव नहीं - [शून्य बिंदु] • आरबीआई में लेखापरीक्षा का पूर्व अनुभव - [3.0 अंक] **[अधिकतम 3 अंक]**	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कोई पूर्व लेखा परीक्षा संलग्न नई फर्म के मामले में, कोई अंक नहीं दिया जाएगा।	
10	अतिरिक्त योग्यता/ सतत पूर्णकालिक सीए भागीदारों का कौशल उन्नयन।	• किसी के लिए आधा बिंदु (0.5) प्रत्येक इन अतिरिक्त योग्यताओं में से (१) शैक्षिक प्रमाण-पत्रआईसीएआई से सूचना प्रणाली (डीआईएसए) में (२) प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए) आईएसएसीए, यूएसए से (३) प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए) AICPA, यूएसए से (४) आईआईए, यूएसए से प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए)		

		(५) प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (सीएफई) ACFE, यूएसए से। • आईसीएआई से किसी भी प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए चौताई अंक (0.25) प्रत्येक में (i) आईएनडी एएस (ii) विधि-विज्ञान लेखा और धोखाधड़ी की रोकथाम (iii) सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन (iv) समवर्ती बैंकों का लेखापरीक्षा (v) धन शोधन रोधी कानून (vi) विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन (vii) माल और सेवा कर। [**अधिकतम 6 अंक**]	एक पूर्णकालिक सीए पार्टनर्स को केवल एक योग्यता के लिए अंक से सम्मानित किया जाएगा।	
	पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड			
11	सीए फर्म या उसके किसी भी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा फटकार लगाई गई थी।	यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म या उसके किसी भी भागीदार को एनएफआरए द्वारा एक सलाह/ सावधानी/ जुर्माना (मौद्रिक) जारी किया गया है – [नकारात्मक 10 अंक]। **[अधिकतम '0' अंक]**		
12	सीए फर्म या उसके किसी भी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा फटकार लगाई गई थी।	कंपनी के स्कोर में 10 अंकों की कमी आएगी, यदि पिछले तीन वर्षों में सीए फर्म या उसके किसी भी भागीदार को गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा परामर्श जारी किया गया है। [अधिकतम **'0' अंक**]		
13	व्यावसायिक कदाचार द्वारा आईसीएआई के अनुसार पिछले पांच वर्षों में एक सदस्य।	फर्म के स्कोर में 10 अंकों की कमी आएगी, यदि सीए फर्म या उसके किसी भी सीए पार्टनर/या फर्म के किसी भी सीए कर्मचारी को पिछले पांच वर्षों के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के अंतरगत पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था/ किया गया था		

		[अधिकतम **'0' अंक**]		
14	पिछले तीन वर्षों में भारतीय रिज़र्वबैंक द्वारा आवंटित लेखा परीक्षाओं को अस्वीकार करना।	फर्म के स्कोर में 10 अंकों की कमी की जाएगी, यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म ने निर्धारित समवर्ती लेखा परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था या समवर्ती छोड़ दिया थाभारतीय रिज़र्वबैंक द्वारा निर्धारित तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले उसे सौंपी गई लेखा परीक्षा। [अधिकतम **'0' अंक**]		
		कुल		

II (b): वित्तीय बोली मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग मानदंड

क्रम संख्या	विशेष	सूत्र*
1	सबसे कम बोली (L1)	एल1/एल1
2	एल-2	एल1/एल2
3	एल-3	एल1/एल3
4	एल-4	एल1/एल4
5	एल-5	एल1/एल5
6	एल-6	एल1/एल6
	एल-एन	एल1 / एलएन

* दो दशमलव अंक तक मान

न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक (जीएसटी को छोड़कर ₹1,15,000/- रुपये) से कम का संकेत देने वाली बोलियां/ आवेदन पूरी तरह से खारिज कर दिए जाएंगे।

III. निबंधन और शर्तें

1. **संविदा की स्वीकृति**: संविदा के प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में सफल बोलीदाता द्वारा इस प्रकार सूचित किया जाएगा कि **प्रस्ताव जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाए।** इस अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने और तदनुसार संवाद करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।
2. बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
3. निविदा भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को निविदाकर्ता के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। इन शर्तों में से किसी का भी पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर निविदा शून्य हो जाएगी।
4. बैंक निविदा दस्तावेज में संशोधन/ संशोधन करने या बोली प्रक्रिया में कोई शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाता उपरोक्त कार्य करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार का विरोध नहीं करेगा।
5. **पारिश्रमिक, स्टाफिंग और कामकाज**: न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ₹1,15,000/- (एक लाख पंद्रह हजार रुपये मात्र) होगा, जिसमें सभी लागतें शामिल हैं और जीएसटी को छोड़कर, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय का समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए। पारिश्रमिक पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा और कार्यकाल के बाद के नवीनीकरण पर भी, यदि कोई हो, तो नहीं बदलेगा। आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 (6)(iii) और अन्य लागू करों के संदर्भ में स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। उद्धृत पारिश्रमिक अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। फर्म द्वारा बिल जमा करने के बाद उचित अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से (एनईएफटी के माध्यम से) भुगतान किया जाएगा। बैंक अपने नियंत्रण से परे कारणों से भुगतान में देरी के लिए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
6. उद्धृत मासिक पारिश्रमिक को जीएसटी से बाहर माना जाएगा। यदि आवेदक निविदा में जीएसटी को बाहर करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। मासिक पारिश्रमिक के लिए बिल सीए द्वारा मासिक आधार पर उठाया जा सकता है और सभी लागू सांविधिक करों में कटौती के बाद इसका निपटान किया जाएगा। भुगतान पूर्ण बिल जमा करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।

8. सीए फर्म को समवर्ती **लेखा परीक्षा के लिए दैनिक आधार पर कम से कम पाँच कामकों को तैनात करना होता है, जिनमें से एक (1) योग्य सनदी लेखाकार होना चाहिए और चार (4) कुशल कर्मचारी होने चाहिए।** कुशल कर्मचारियों को आईपीसीसी (एकीकृत व्यावसायिक क्षमता पाठ्यक्रम) के सीए इंटरमीडिएट या ग्रुप II के कम से कम समूह 2 उत्तीर्ण होना चाहिए और वर्तमान में लेख प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। टीम को कंप्यूटर/ सिस्टम का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए|
9. नियुक्ति को बैंक के विवेक पर आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक नियुक्ति 30 सितंबर, 2027 तक होगी, जिसमें आरबीआई द्वारा वर्ष के अंत में मूल्यांकन प्रणाली के तहत **संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन** अधिकतम दो और वर्षों, एक बार में एक साल, के लिए पुनर्नियुक्ति का प्रावधान होगा। संविदा का विस्तार, यदि कोई हो, बैंक के विवेक पर होगा और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर होगा।
10. सामान्य कार्यालय कार्य घंटों के दौरान सभी कार्य दिवसों में कार्यालय परिसर में तैनात अपेक्षित कर्मचारियों के साथ फर्म के सनदी लेखाकार / भागीदार की उपस्थिति अनिवार्य है। उपरोक्त कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी बैंक द्वारा की जाएगी। तैनात कर्मचारियों में से किसी एक या एक से अधिक की अनुपस्थिति/ उपयुक्त समान/ समकक्ष स्थानापन्न कर्मचारियों पर **प्रति दिन of ₹1150/- रुपये का जुर्माना** लगाया जाएगा। सामान्य तौर पर, फर्म द्वारा तैनात टीम में फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल अत्यधिक आपात स्थिति में ही फेरबदल किया जाना चाहिए। फर्म/ सीए यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त किए गए आर्टिकल क्लर्कों की योग्यता आईसीएआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार है और नियोजित आर्टिकल क्लर्क **कम से कम छह महीने के लिए वर्तमान असाइनमेंट के साथ जारी रखें।**
11. **कार्य का दायरा:** लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर की गई गतिविधियों की एक सांकेतिक सूची दस्तावेज़ के 'कार्य का दायरा' खंड में दी गई है। दस्तावेज के 'कार्य का दायरा' खंड में दर्शाए गए सभी विभागों और गतिविधियों को समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत कवर किया जाएगा। संविदा के कार्यकाल के दौरान कार्यालय के भीतर किसी भी नए विभाग की स्थापना को लेखा परीक्षा के दायरे में शामिल किया जाएगा।
12. **नोट**- उक्त सूची प्रकृति में केवल अस्थायी/ सांकेतिक है और बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) के कार्य क्षेत्रों को जोड़ने/ हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए उद्धृत और सहमत मासिक पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
13. फर्म सभी सांविधिक करों और उनके रिटर्न के निर्धारण में बैंक के कर्मचारियों की सहायता करेगी। **फर्म बैंक के आयकर/जीएसटी रिटर्न (और कोई अन्य संबंधित रिटर्न जो बाद में लागू हो सकता है) को निर्दिष्ट अंतराल पर और सांविधिक समयसीमा के भीतर तैयार करेगी और दाखिल करेगी।**
14. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय परिसर में उपयुक्त बैठने की जगह के अलावा कर्मचारियों को कोई अन्य सुविधा/ शुल्क प्रदान नहीं करेगा। सीए या उनके कर्मचारी अपनी नौकरी से संबंधित कार्यों के अलावा

किसी अन्य उद्देश्य के लिए आरबीआई परिसर के परिसर, संपत्ति, फिक्स्चर, फिटिंग आदि का उपयोग नहीं करेंगे। सीए बैंक द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरणों और सामग्रियों की पर्याप्त देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होगा।

15. प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद कार्यालय के प्रबंधन टीम/ विभागाध्यक्षों की समवर्ती लेखा परीक्षकों के साथ एक त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तिमाही में कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और कर कानूनों/ संरचना में बदलाव और बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य मामलों पर इसके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी।

16. सीए संविदा अवधि के दौरान लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले नुकसान, नुकसान या दावों के खिलाफ और सीए द्वारा कदाचार, चूक और लापरवाही के कारण सीए द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को क्षतिपूर्ति देगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा।

17. फर्म/ सीए उनके द्वारा देखे गए किसी भी लेनदेन के संबंध में अपनी ओर से किसी भी चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार होगा। यदि लेखापरीक्षा फर्म के कामकाज में चूक और कमीशन का कोई गंभीर कार्य पाया जाता है, तो बैंक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान को ऐसी कार्रवाइयों के लिए रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो वे उचित समझें।

18. फर्म/ सीए किसी अन्य फर्म को बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना संविदा या उसके किसी भी हिस्से को सबलेट, हस्तांतरित या असाइन नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक लेखा परीक्षक के खिलाफ बैंक के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा को रद्द करने के लिए लेखा परीक्षक पर लिखित रूप में नोटिस दे सकता है।

19. **समाप्ति:** यदि किसी भी समय, बैंक फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक लिखित रूप में तीन कैलेंडर महीनों की सूचना देने के बाद संविदा को समाप्त कर सकता है। फर्म, यदि वह सेवाओं को समाप्त करना चाहती है, तो बैंक को तीन कैलेंडर महीनों की समान सूचना प्रदान करनी होगी। नोटिस अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफलता के मामले में, बैंक को प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार है।

20. **गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण खंड:** फर्म/ सीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/ प्रणालियों/ उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान सीए के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। सीए संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। सीए किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर में कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। सीए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी

उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सीए के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

21. फर्म को यह माना जाएगा कि सभी सामग्री और जानकारी जो इस करार या इसके प्रदर्शन के संबंध में उसके कब्जे में या ज्ञान में आएगी, चाहे वह गोपनीय या मालिकाना डेटा से युक्त हो या नहीं, हर समय उसके द्वारा सख्त विश्वास में रखा जाएगा और वह इसका कोई उपयोग नहीं करेगा, अपने दायित्वों के प्रदर्शन के अलावा और इसे केवल उन कर्मचारियों को जारी करने के लिए जिन्हें यहां वर्णित दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसी जानकारी की आवश्यकता होती है, न कि किसी अन्य के लिए।

22. **दिवालियापन**: यदि लेखा परीक्षक फर्म दिवालियापन का कोई कार्य करती है या उसे दिवालिया घोषित किया जाएगा, या उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा, या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाता है, या सॉल्वेंसी या समापन के ऐसे कृत्यों में न्यायालय और आधिकारिक असाइनी या परिसमापक की देखरेख के अधीन है, जैसा भी मामला हो, ऐसी घटना के सात दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा ताकि बैंक आगे की कार्रवाई का निर्णय ले सके। इस संबंध में बैंक द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई लेखापरीक्षा फर्म के लिए बाध्यकारी होगी।

23. **विवाद और मध्यस्थता**: वाणिज्यिक शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान - किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो भी इस नियुक्ति से उत्पन्न होते हैं, या इस नियुक्ति के संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे, और उनके द्वारा निपटाए जाएंगे जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएंगे। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। यदि नियोक्ता या फर्म किसी भी प्रकार के किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद पर क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के निर्णय से असंतुष्ट है या किसी भी प्रमाण पत्र के बैंक द्वारा रोक लगाने के रूप में, जिसके लिए फर्म हकदार होने का दावा कर सकती है, तो और ऐसे किसी भी मामले में कोई भी पक्ष (नियोक्ता या फर्म) 28 दिनों के भीतर हो सकता है, इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के बाद, दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दें जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विवाद में मामलों में मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो विवाद या अंतर में हैं, जिनमें से इस तरह की लिखित सूचना दी गई है और कोई अन्य नहीं होगा और इसके द्वारा मध्यस्थता और मध्यस्थ के अंतिम निर्णय को संदर्भित किया जाता है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की जानी चाहिए या, एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के रूप में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक नियुक्त किया जाना है, जो मध्यस्थ करेंगे, खुद को संदर्भ का बोझ लेने से पहले, एक अंपायर नियुक्त करें. संपूर्ण मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित होगी।

24. इस नियुक्ति से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को केरल में उत्पन्न हुआ माना जाएगा और केवल केरल के न्यायालयों के पास ही इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा। शुल्क,

यदि कोई हो, मध्यस्थ की, यदि पुरस्कार दिए जाने और प्रकाशित होने से पहले भुगतान किया जाना आवश्यक हो, तो प्रत्येक पक्ष द्वारा आधा और आधा भुगतान किया जाएगा। संदर्भ और पुरस्कार की लागत (शुल्क सहित, यदि कोई हो, मध्यस्थ की) मध्यस्थ के विवेक पर होगी जो किसी को भी निर्देशित कर सकता है जिसके द्वारा और किस तरीके से, ऐसी लागत या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान किया जाएगा और भुगतान की जाने वाली लागतों की राशि को तय या निपटाया जाएगा।

25. **विभिन्न अधिनियमों और कानूनों का पालन:** फर्म श्रम अधिनियम, पीपीएफ, ईएसआई, न्यूनतम मजदूरी आदि के संबंध में देश के सभी लागू कानूनों का पालन करेगी। बैंक इन कानूनों का पालन नहीं करने के लिए किसी भी तरह के किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। फर्म बैंक के सत्यापन के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों (पास प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ के साथ) का विवरण देगी। इसके अलावा, फर्म सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बैंक के परिसर में तैनात कर्मियों का पुलिस सत्यापन करेगी और प्रमाण पत्र की प्रति बैंक को जमा करेगी।

26. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और संबंधित जिम्मेदारियों का अनुपालन:** फर्म कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, फर्म द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और फर्म शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी/ग्राहक/आगंतुक के खिलाफ फर्म के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। फर्म किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी जिसे फर्म के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

27. फर्म अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

28. **अप्रत्याशित घटना** - यदि संविदा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष अप्रत्याशित घटना के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, ईश्वर के कार्य आदि के रूप में कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना के होने के बारे में सूचित करेगा। कोई भी पक्ष, इस तरह की घटना के कारण, अपने दायित्वों के इस तरह के प्रदर्शन के संबंध में संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। संविदा के

तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी संभव हो फिर से शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से परे घटना के कारण रोका या देरी की जाती है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर, संविदा को समाप्त कर सकता है।

29. **संविदा करार पर हस्ताक्षर:**

(i) बोलीदाताओं को सामान्य अनुदेश और यहां पहले संदर्भित विशेष शर्तें सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होंगी।

(ii) साझेदारी फर्मों के मामले में, एक फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के भागीदार द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(iii) निविदा की स्वीकृति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता उसमें निर्दिष्ट तिथि से संविदा को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा दस्तावेज़ में निहित निबंधनों और शर्तों को इस करार के भाग और हिस्से के रूप में माना जाएगा। सफल निविदाकर्ता तिरुवनंतपुरम, केरल में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त करार पर उचित और आवश्यक स्टांप शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में रिज़र्व बैंक और बोली लगाने वाले व्य क्ति के बीच एक बाध्यकारी करार का गठन नहीं करेगी, चाहे ऐसा संविदा बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

(v) चयनित सीए फर्म को नियुक्ति की अवधि की नियुक्ति/ विस्तार के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (स्थानीय स्टाम्प कानूनों के अनुसार मूल्य) पर एक हलफनामा-सह-क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि बैंक की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखी जा सके और साथ ही बैंक द्वारा किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान या क्षति के कारण किसी भी दावे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति की जा सके।

मैं/ हमने उपरोक्त निबंधन और शर्तें पढ़ ली हैं और ये मुझे/ हमें स्वीकार्य हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर: .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम : .....

फर्म का नाम: .....

IV. कार्य क्षेत्र

1. समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) की मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत कवर की जाने वाली मदों का विवरण जांचसूची, वित्तीय कार्रवाई पैराग्राफ का सारांश, गैर-वित्तीय प्रमुख कार्रवाई पैराग्राफ का सारांश, गैर-वित्तीय अन्य कार्रवाई पैराग्राफ का सारांश, प्रभारी अधिकारी के रैंक से नीचे के अधिकारियों द्वारा अनियमित मंजूरी का विवरण, प्रभारी अधिकारी द्वारा अनियमित मंजूरी का विवरण, अनुपालन का सारांश और गैर-अनुपालन पैरा का सारांश और गैर-अनुपालन पैरा का सारांश है।

2. कृपया ध्यान दें कि सूचीबद्ध दायरा **केवल सांकेतिक** है और बैंक बैंक की आवश्यकता के अनुसार भविष्य की तारीख में सीए के कार्यों को बढ़ाने/ बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए उद्धृत और सहमत मासिक पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीए को इस ढांचे के भीतर लेनदेन का लेखापरीक्षा करना चाहिए। सत्यापित किए जाने वाले लेनदेन में किसी भी खाते में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

3. समवर्ती लेखा परीक्षा तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के निम्नलिखित विभागों को कवर करेगी:

अ) बैंकिंग विभाग

आ) निर्गम विभाग

इ) सम्पदा विभाग

ई) मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी)

उ) राजभाषा कक्ष

ऊ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

ए) शिष्टाचार और सुरक्षा स्थापना

ऐ) पर्यवेक्षण विभाग

ओ) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

औ) सांख्यिकीय सूचना प्रबंध विभाग

अं) आरबीआई ओम्बुड्समैन का कार्यालय

अः) केंद्रीय स्थापना अनुभाग

क) उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष

ख) संविदा की अवधि के दौरान भविष्य में स्थापित किया गया कोई नया विभाग ।

4. औसतन, सीए द्वारा मासिक आधार पर जांचे जाने वाले वाउचरों की संख्या **350 (लगभग) होगी।** हालांकि, **वाउचर की संख्या केवल सांकेतिक प्रकृति की है** और कार्यालय/ विभाग की आवश्यकता के आधार पर वाउचर की संख्या में वृद्धि/ कमी हो सकती है।

5. समवर्ती लेखा परीक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय/ विभाग की प्रणाली और प्रक्रियाओं से परिचित हों और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए सभी संगत परिपत्रों/ दिशा-निर्देशों, प्रासंगिक नियमावली, व्यय नियमों आदि में शामिल प्रावधानों का अध्ययन करेंगे।

6. समवर्ती लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा विकसित आवेदन (एएमएस/ एनजीएएएस) से परिचित हों और रिपोर्ट प्रस्तुत करें और बैंक द्वारा अपेक्षित कार्रवाई पैरा (सुधारित पैरा सहित) बनाएं।

7. फर्म सभी (100%) वित्तीय लेनदेन के वाउचर/रिकॉर्ड/रजिस्टरों का लेखापरीक्षा करेगी और उचित करों, लागू कर दरों, जिस राशि पर कर की गणना की जाती है, भुगतान करने से पहले संबंधित अधिकारियों को कर का उचित क्रेडिट और दाखिल करने से पहले रिटर्न का 100% सत्यापन की 100% जांच करेगी।

वाउचर की जांच करते समय, सीए निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा:

i) बैंक के व्यय नियम।

ii) राजस्व/ पूंजी (डेड स्टॉक खाता) खाता व्यय का विवरण और लेखा शीर्ष।

iii) राजस्व का सही लेखांकन और व्यय की पूंजीगत प्रकृति

iv) निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी प्रासंगिक दस्तावेजों (जैसे आरबीआई जनरल ए/सी, एसजीएल, सहायक रिकॉर्ड/रजिस्टर आदि) का रखरखाव।

v) अंतर कार्यालय सुलह खाता / सी, समायोजन खाता /

vi) मासिक अंतराल पर प्रभारों के हिसाब से सामंजस्य और निगरानी

vii) एजेंसी आयोग के दावों की गणना

viii) प्रत्यायोजित शक्तियों के संदर्भ में स्वीकृति प्राधिकारी - ग्रेडवार ।

ix) मैनुअल निर्धारित शुल्क खाते में दिन के वाउचर की पोस्टिंग। रजिस्टर (डीएडी 081) और / या कंप्यूटर सिस्टम में डीलिंग अधिकारियों के आद्याक्षर के तहत विधिवत जांच / प्रमाणित।

x) सामान्य खाता बही / सहायक सामान्य खाता बही लेखे / सहायक रिकॉर्ड / रजिस्टर जैसा कि निर्धारित किया गया है, तैयार किए जाते हैं और डीलिंग / पर्यवेक्षण अधिकारियों के हस्ताक्षर के तहत उचित रूप से बनाए जाते हैं।

xi) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारी (सीए) बैंक के व्यय नियमों/बैंक के सामान्य प्रशासन नियमावली/केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित अनुदेशों/दिशानिर्देशों के साथ असंगत उपर्युक्त (i) से (x) में पाए गए किसी भी विचलन/अनियमितता/कमी को लिखित रूप में विभाग के प्रभारी के ध्यान में लाएगा और मौके पर / बिना किसी अनुचित देरी के अनियमितता के तत्काल सुधार/सुधार के लिए सुरक्षित/व्यवस्था करेगा।

7. समवर्ती लेखा परीक्षकों को संबंधित विभाग के परामर्श से सहमत तिथियों/दिनों पर वाउचर/रिकॉर्ड/रजिस्टरों का लेखापरीक्षा करना चाहिए।

8. समवर्ती लेखा परीक्षकों को स्पॉट सुधार के लिए संबंधित विभाग के प्रभारी को पाई गई कमियों पर एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। फर्म को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रमुख कमियों पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है।

9. समवर्ती लेखा परीक्षकों को यह सत्यापित करना और रिपोर्ट करना आवश्यक है कि किए गए वित्तीय लेनदेन बैंक की निर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया के अनुरूप हैं।

10. कार्यक्षेत्र और कवरेज में विनिदष्ट कार्य क्षेत्रों को इस कार्यालय की आवश्यकताओं के आधार पर भविष्य की तारीख में बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए उद्धृत और सहमत मासिक पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

11. संवेदनशील क्षेत्रों या लेन-देन में पाई गई अनियमितताएं, जो संदिग्ध या कपटपूर्ण प्रकृति की हैं, को एक गुप्त नोट के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए। सीए द्वारा पता लगाई गई प्रमुख अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कमी, यदि कोई हो, की सूचना की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संबंधित केन्द्रीय कार्यालय विभागों और निरीक्षण विभाग को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।

12. लेखापरीक्षा रिपोर्ट को "रिपोर्ट" ....." जैसी सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियां करने से बचना चाहिए समझने के लिए दिया गया'....." सीखा", आदि इसके बजाय, सीए को कारणों और प्रासंगिक सांख्यिकीय और अन्य डेटा द्वारा विधिवत समर्थित विशिष्ट टिप्पणियों को शामिल करने के लिए एक बिंदु बनाना चाहिए।

13. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में हमेशा वित्तीय, गैर-वित्तीय और अन्य प्रमुख अनियमितताओं पर मदवार कार्रवाई बिंदुओं को इंगित किया जाना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में कहा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा किए गए लेनदेन/वाउचर को ठीक से रिकॉर्ड/प्रलेखित किया गया है और पुष्टि की गई है। पूर्व की रिपोर्टों की लेखा परीक्षा अनियमितताओं की अनुपालन स्थिति की अद्यतन स्थिति को लेखा परीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया जाना चाहिए।

14. आवधिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में संवेदनशील खातों में पुरानी और उच्च मूल्य की बकाया प्रविष्टियों, जैसे सस्पेंस, विविध, आरबीआई सामान्य खाता, वस्तु-इन-ट्रांजिट खाता आदि के संबंध में कार्रवाई और/या निष्क्रियता के कारणों को उजागर किया जाना चाहिए।

15. सीए से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यालय/ विभाग की आवश्यकता के अनुसार आवधिक आय समीक्षा विवरण से संबंधित रिपोर्टों का सत्यापन करे, कार्यकलाओं के साप्ताहिक विवरण (डब्ल्यूएसए), सार डब्ल्यूएसए, आय विवरण, आगे ले जाने वाले प्रावधान की रिपोर्ट आदि को प्रमाणित करें।

16. सीए सभी सांविधिक करों और उनके रिटर्न के निर्धारण में बैंक के कर्मचारियों की सहायता करेगें। फर्म निर्दिष्ट अंतराल पर बैंक के जीएसटी/ आयकर रिटर्न (और कोई अन्य रिटर्न जो बाद में लागू हो सकता है) तैयार करेगी और दाखिल करेगी।

17. सीए पट्टे पर दिए गए फ्लैटों के एनआरआई/ ओसीआई/ विदेशी राष्ट्रीय मालिकों को किराए के भुगतान के संबंध में 15 सीए/सीबी प्रमाण पत्र बनाने का कार्य करेगा। प्रमाण पत्र सूचना/ अनुरोध की तारीख से दो कैलेंडर दिनों के भीतर प्रदान किए जाएंगे।

18. खातों को छमाही/ वार्षिक रूप से बंद करने के समय किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच करना।

19. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने वाले छमाही/ वार्षिक समापन खाता विवरण और आवश्यकता के अनुसार किसी भी निर्धारित विवरण/ नियंत्रण रिटर्न को प्रमाणित करना।

<u>रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ</u>

1. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में या समय-समय पर अपडेट किए गए नामित पोर्टल में अगले महीने के 10 कार्य दिवसों के भीतर तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय और गैर-वित्तीय (प्रमुख और अन्य) कार्रवाई पैरा पर मद-वार कार्रवाई बिंदुओं को इंगित किया जाना चाहिए।

3. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित कार्य बिंदुओं के संबंध में अनुपालन की स्थिति का भी उल्लेख होना चाहिए, जिसे महीने के दौरान ठीक किया गया था और बकाया अनुपालन, यदि कोई हो, में देरी का कारण भी बताया जाना चाहिए।

4. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संवेदनशील खातों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों, जैसे सस्पेंस, विविध आदि के संबंध में निष्क्रियता के कारणों को उजागर किया जाना चाहिए।

5. संवेदनशील क्षेत्रों में पाई गई अनियमितताओं और/ या संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन को एक विशेष नोट दर्ज करके क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

6. समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विशिष्ट टिप्पणियों को शामिल किया जाना चाहिए, जहां भी आवश्यक हो, तथ्यों और आंकड़ों द्वारा विधिवत समर्थित हो।

7. आय में बड़ी अनियमितताओं/ धोखाधड़ी/ लीकेज, यदि कोई पहचान की गई है, तो उसे ऑडिटी कार्यालय, संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग और निरीक्षण विभाग के प्रभारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

8. समवर्ती लेखा परीक्षक को एक मासिक सांविधिक और विनियामक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है कि उन्होंने लेन-देन की 100% जांच की है और आरबीआई, तिरुवनंतपुरम आरओ द्वारा प्रासंगिक क़ानूनों/ नियमों/ अधिनियमों में निर्धारित सभी लागू वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं का 100% अनुपालन किया गया है।

9. इसके तहत प्रस्तुत प्रमाण पत्र को मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

अ) "कार्यालय में किए गए लेनदेन बैंक द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं"।

आ) "हमने सांविधिक और विनियामक अनुपालन पर मास्टर परिपत्र के संदर्भ में लेनदेन की 100% जांच की है और संबंधित कानूनों/ नियमों/ अधिनियमों में निर्धारित सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का 100% अनुपालन है।

इ) "नियमों और शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा किए जाने वाले सभी क्षेत्रों का हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किया गया है"

V. विस्तृत कार्यक्षेत्र/ समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए कार्य का सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय की लेखा परीक्षा

1. समवर्ती लेखा परीक्षक प्राप्त करेंगे और खुद को परिचित करेंगे:

i) बैंक द्वारा प्रदान की गई विभागवार जांचसूची के लेखा परीक्षा क्षेत्रों के सभी मदे।

ii) लेखापरीक्षा के लिए बैंक के संबंधित विभाग में उपलब्ध सामान्य प्रशासन मैनुअल, बैंकिंग विभाग मैनुअल और परिसर विभाग मैनुअल की अद्यतन प्रति।

(iii) मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी), केंद्रीय कार्यालय और अन्य केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा जारी मास्टर परिपत्रों की सभी प्रासंगिक प्रतियां। लेखापरीक्षा फर्म केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी संबंधित मास्टर सर्कुलर से संलग्न अनुलग्नकों में शामिल केंद्रीय कार्यालय के परिपत्रों को संदर्भित करने की भी व्यवस्था करेगी।

(iv) बैंक के खातों के अंतिम वाषक समापन की पूर्व संध्या पर सभी सीओडी/ आरओ/प्र शिक्षण संस्थानों को संबोधित बैंक के व्यय नियमों और सरकार और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), केंद्रीय कार्यालय परिपत्र की प्रति।

v) समवर्ती लेखा परीक्षक लेखापरीक्षा के लिए बैंक के संबंधित अधिकारियों के परामर्श से सहमत तिथियों/ दिनों पर वाउचर/रि कॉर्ड/ रजिस्टरों की लेखा परीक्षा करेगा।

2. सभी वित्तीय लेनदेनों को उनके मूल्य पर ध्यान दिए बिना समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती बिल (प्रत्यक्ष निपटान/ प्रतिपूर्ति योजना)
(ii) चिकित्सा सहायता निधि खाते के तहत निपटाए गए दावों का निपटान
(iii) सभी दंत चिकित्सा उपचार और अन्य चिकित्सा दावे
(iv) मूल पेंशन, पेंशन का कम्यूटेशन और पेंशन से संबंधित अन्य गणनाएं, उपदान दावे (अनुकंपा उपदान सहित), छुट्टी नकदीकरण दावे, गारंटी निधि दावे (जहां भी लागू हो), लेखा परीक्षा अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावे। कर गणना और देय अधिवषता देय देय पर प्रेषणीय कर देयता में बैंक/ कर्मचारी का हिस्सा आदि।
(v) जब भी केन्द्रीय कार्यालय द्वारा वेतनमान/ पेंशन संशोधन आदेश जारी किए जाते हैं, कर्मचारियों के वेतन का पुन निर्धारण के साथ-साथ भूतपूर्व कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का पुन निर्धारण किया जाता है।
(vi) पदोन्नति ग्रेड में कर्मचारियों की वाषक वृद्धि/ वेतन का पुन: निर्धारण।
(vii) सभी विदेशी दौरे के बिल।

(viii) बैंक के केंद्रीय कार्यालय के अनुदेशों के तहत 100% लेखा परीक्षा जांच के लिए सुझाए गए किसी भी अन्य दावे/ बिल, जो समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

(ix) किराए, करों, जल शुल्कों आदि के सभी भुगतान।

(x) विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ सेवा प्रदाताओं को किए गए सभी भुगतान।

(xi) विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट (वीओएफ), ट्रांजिट हॉलिडे होम (टीएचएच), हॉलिडे होम और अन्य वसूलियों के किराए का संग्रह।

3. समवर्ती लेखा परीक्षक की शुद्धता को प्रमाणित करेगा

(i) बैंकों द्वारा सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर)/ नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव

(ii) सीआरआर/ एसएलआर में किसी भी कमी के लिए दंडात्मक ब्याज की गणना।

4. आईटी-टीडीएस की छूट के लिए सीमा को ट्रैक करने के लिए सभी विक्रेता भुगतानों के विवरण के साथ मासिक नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव।

5. सीए समय-समय पर परिसंपत्ति/ लेन-देन के पूंजीकरण की तारीख की जांच करेगा और इस संबंध में संबंधित संपदा विभाग/ विभाग को एक त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

6. सीए बैंकों द्वारा बनाए गए पात्र सीआरआर बैलेंस पर ब्याज भुगतान की शुद्धता को प्रमाणित करेगा।

7. निर्गम विभाग में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) प्रोत्साहनों, प्रोत्साहन और दंड की योजना और मुद्रा वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस) की गणना का सत्यापन।

8. उपरोक्त लेनदेन-आधारित वाउचर/दावों/बिलों आदि की 100% जांच पूरी करने के अलावा, समवर्ती लेखा परीक्षक निम्नलिखित की जांच करेगा:

(i) पेटी कैश खातों की मासिक जांच और पेटी कैश खातों की बकाया शेष को वापस करना।

(ii) लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए सीओ दिशानिर्देशों/मैनुअल प्रावधानों के अनुसार, अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा के तहत चेक बुक/स्टाम्प/फ्रैंकिंग मशीन शेष और अन्य कीमती सामानों की औचक लेखा परीक्षा जांच। समवर्ती लेखा परीक्षक आधे वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा करेंगे।

(iii) आवास ऋण खाता दस्तावेजों, अन्य दस्तावेजों, समझौतों, चेक बुक और कीमती सामानों का संरक्षण और चेक बुक और कीमती सामान की सुरक्षित अभिरक्षा।

(iv) सस्पेंस खाते, विविध डिपॉजिट खाते आदि के सही मासिक विवरण तैयार करना और समय पर जमा करना और अन्य मासिक विवरण डीजीबीए, केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित करना होगा। इन संवेदनशील खातों में एक/दो महीने से अधिक लंबी और उच्च मूल्य की बकाया प्रविष्टियों की सूची संलग्न की जाएगी और रिपोर्ट में टिप्पणी की जाएगी।

(v) मासिक और त्रैमासिक स्तर पर प्रभारों के हिसाब से सुलह और निगरानी की जाएगी। अनुमोदित बजट आबंटन की तुलना में सीएसबीडी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुझाए गए प्रभारों की खाता समीक्षा की जाती है।

(vi) समवर्ती लेखा परीक्षकों को वास्तविक लेनदेन/स्वीकृतियों के संदर्भ में प्रणाली में प्रविष्टियों को सत्यापित करना चाहिए।

(vii) जीएल और एसजीएल खाता शेष के साथ व्यक्तिगत कर्मचारी ऋण और अग्रिम वसूली लेखा पत्रों की कुल बकाया शेष राशि का मासिक संतुलन/मिलान। बकाया एसजीएल/जीएल शेष और सी रजिस्टरों (आवास ऋण खातों के लिए) के साथ सभी स्टाफ ऋण/अग्रिम खातों के बकाया उपार्जित ब्याज शेष का अर्ध-वार्षिक संतुलन।

(viii) कर्मचारी ऋण और अग्रिम खातों की बकाया शेष राशि पर वार्षिक ब्याज का आवेदन, कमीशन खाते, विनिमय खाते, छूट खाते, बैंक की परिसंपत्तियों की बिक्री या अन्यथा से लाभ और हानि खाते में लेखा प्रविष्टियों को पारित करना, मूल्यह्रास और अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधान खातों और वार्षिक समापन खातों आदि को तैयार करना डीजीबीए के अनुरूप, सीओ दिशानिर्देश।

(ix) समवर्ती लेखा परीक्षक को बैंक की आवश्यकता के अनुसार आवधिक आय समीक्षा विवरण से संबंधित रिपोर्टों को सत्यापित करना, मामलों के साप्ताहिक विवरण (डब्ल्यूएसए), सार डब्ल्यूएसए, आय विवरण, कैरी फॉरवर्ड प्रावधान रिपोर्ट आदि को प्रमाणित करना आवश्यक होगा।

(x) कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा जांच के लिए सुझाए गए किसी भी केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित विवरण/नियंत्रण विवरण।

(xi) समवर्ती लेखा परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षित बैंक के बैंक के आय खाते में ब्याज, विनिमय, कमीशन, छूट आदि का कोई लीकेज न हो और बैंक के संबंधित कार्यालय के प्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं और कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं के बारे में सीओ द्वारा निर्धारित परिपत्रों/ निर्देशों/ दिशानिर्देशों में कोई एकपक्षीय परिवर्तन न करें/ न करें। संबंधित सीओ विभाग के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के बिना किए गए किसी भी आय रिसाव/ विचलन को तत्काल कार्रवाई/ सुधार के लिए संबंधित ओआईसी/ सीजीएम/ आरडी/ प्रिंसिपल को प्रस्तुत मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में रेखांकित किया जा सकता है।

(xii) बैंक की संपत्तियों के बीमा की जाँच करना।

(xiii) लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाने वाले रजिस्टरों में विविध रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर, बयाना धन जमा/ सुरक्षा जमा रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर आदि शामिल हो सकते हैं।

(xiv) बैंक की नई अचल संपत्ति नीति का पालन और संपदा विभाग द्वारा जड़ वस्तु के मिलान का सत्यापन।

(xv) संपत्ति कर, पानी और बिजली शुल्क आदि के बिलों का सत्यापन।

(xvi) डीजल की खपत के रिकॉर्ड की जांच करें और प्रमाणित करें।

(xvii) एफडीआई/ ओडीआई लेनदेन की रिपोर्टिंग में देरी के लिए लेखापरीक्षा विलंब जमा करने के शुल्क (एलएसएफ) की गणना, फेमा के अन्य उल्लंघनों के कंपाउंडिंग के लिए लेखापरीक्षा।

(xviii) सीओ दिशानिर्देशों/मैनुअल प्रावधानों के अनुसार और बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार रजिस्टरों/ रिकॉर्ड/ विवरणों/ नियंत्रण विवरणों की लेखा परीक्षा जांच। लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाने वाले रजिस्टरों में विविध रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर, बयाना धन जमा/ सुरक्षा जमा रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर, आईटी-टीडीएस नियंत्रण रजिस्टर आदि शामिल हो सकते हैं।

(xix) कराधान:

अ. समवर्ती लेखा परीक्षक को स्रोत पर कटौती किए गए कर की शुद्धता की जांच और पुष्टि करनी चाहिए (लागू दर, कटौती का समय और प्रेषण का समय आदि) और कार्यालय द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल करने की भी पुष्टि करनी चाहिए।

आ. समवर्ती लेखा परीक्षक को सभी सांविधिक करों और उनके विवरणियों के निर्धारण में बैंक के कर्मचारियों की सहायता करनी चाहिए। फर्म जीएसटी/ किसी भी अन्य कर से संबंधित मामलों पर पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करेगी और जीएसटी/ किसी भी अन्य कर रिटर्न को दाखिल करने से पहले डेटा की सटीकता सुनिश्चित और प्रमाणित करेगी।

इ. समवर्ती लेखा परीक्षक को जीएसटी दरों/ नियमों/ कानूनों में बदलाव, न्यूनतम मजदूरी (आधार दर, ईएसआईसी, पीएफ आदि) में परिवर्तन के बारे में कार्यालय को समय-समय पर संबंधित सरकारी विभागों द्वारा अधिसूचित किए जाने पर सूचित करना चाहिए ताकि कार्यालय परिवर्तनों के तत्काल कार्यान्वयन को प्रभावित कर सके।

ई. स्रोत पर कर कटौती या संग्रह और समय पर रिटर्न दाखिल करना। उचित करों की 100% जांच, लागू कर दरों, जिसमें कर की गणना की गई है, भुगतान करने से पहले संबंधित अधिकारियों को कर का उचित क्रेडिट और रिटर्न दाखिल करने से पहले रिटर्न का 100% सत्यापन भी।

उ. कर प्राधिकारियों से कर नोटिस प्राप्त होने की स्थिति में भारतीय रिज़र्वबैंक, तिरुवनंतपुरम आरओ को परामर्श और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना, बैंक द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण आदि के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

10. समवर्ती लेखा परीक्षक/ फर्म विभिन्न जीएसटी (जीएसटीआर1/ जीएसटीआर-3बी-आरसीएम/ जीएसटीआर-3बी-आरसीएम-आरसीएम/ जीएसटीआर7 /जीएसटीआर9 और जीएसटीआर9सी के अलावा) विवरण दाखिल करेंगे और निर्दिष्ट अंतराल पर और वैधानिक समयसीमा के भीतर बैंक के टीडीएस रिटर्न (फॉर्म 140/143/144) दाखिल करेंगे (और कोई अन्य संबंधित रिटर्न जो बाद में लागू हो सकते हैं)। समवर्ती लेखा परीक्षक विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए कर संबंधी आंकड़ों की भी जांच और सत्यापन करेंगे। विभाग कर रिटर्न दाखिल करने के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों को डेटा इनपुट प्रस्तुत करेंगे।

11. समवर्ती लेखा परीक्षक को एनईएफटी के दिशानिर्देशों के पालन को सत्यापित करना चाहिए।

12. समवर्ती लेखा परीक्षकों को वास्तविक लेनदेन/ स्वीकृतियों के संदर्भ में सहायक पुस्तक में प्रविष्टियों का सत्यापन करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि क्या कोई धोखाधड़ी वाला लेनदेन डीएडी को भेजा गया है और सहायक पुस्तकों में हेरफेर किया गया है।

13. तिरुवनंतपुरम आरओ/ केंद्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर इंगित वित्तीय निहितार्थ वाले किसी भी अन्य लेखा परीक्षा क्षेत्र की समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जानी है।

14. लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित किए जाने वाले रजिस्टरों में विविध रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर, बयाना धन जमा/ सुरक्षा जमा रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर आदि शामिल हो सकते हैं।

15. समवर्ती लेखा परीक्षक तिरुवनंतपुरम आरओ के परामर्श से सहमत तिथियों/ दिनों पर सीबीएस/ ई-कुबेर में भौतिक/ डिजिटल मोड में वाउचर/ रिकॉर्ड/ रजिस्टरों का लेखापरीक्षा करेगा।

16. डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित किए जाने वाले साप्ताहिक मामलों के विवरण की सत्यता को प्रमाणित करना।

17. आय समीक्षा विवरण की शुद्धता को प्रमाणित करें जिसमें अर्जित आय शामिल है लेकिन प्राप्त नहीं की गई/किया गया व्यय लेकिन भुगतान नहीं किया गया। उक्त विवरण को निर्धारित महीनों के लिए डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

18. सभी वित्तीय लेन-देन बैंक के नियमों और विनियमों के साथ-साथ वैधानिक और नियामक अनुपालन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-भुगतान (मंजूरी के बाद) चरण में समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन होंगे, जिनके लिए भुगतान के बाद वित्तीय लेनदेन की सौ प्रतिशत जांच की आवश्यकता होती है।

प्रदान की गई वस्तुएं केवल सांकेतिक हैं और पूर्ण नहीं हैं। उपर्युक्त बिंदुओं को शामिल करने वाली विभाग-वार विस्तृत चेकलिस्ट सीए फर्म को समवर्ती लेखा परीक्षक (कॉन्करेंट लेखापरीक्षार) के रूप में नियुक्ति के बाद प्रदान की जाएगी।

नोट: उपर्युक्त मदों में से किसी में भी परिवर्तन/संशोधन/विलोपन की सूचना बैंक द्वारा फर्म को लिखित रूप में दी जाएगी, जिसे फर्म पारिश्रमिक में बिना किसी संगत परिवर्तन के स्वीकार करेगी।

VI. फॉर्म-1

समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: तकनीकी बोली प्रपत्र

1	सीए फर्म का नाम	
2	संविधान	
3	पिन कोड के साथ पूरा डाक पता	
4	सीए फर्म की शाखाओं की संख्या और स्थान, यदि कोई भी	
5	मोबाइल नंबर	
6	टेलीफ़ोन का नंबर	
7	ईमेल पता	
8	सीए फर्म की स्थापना की तिथि **[वृत्तचित्र गवाही प्रस्तुत किया जाए]**	
9	आईसीएआई के साथ फर्म पंजीकरण संख्या **[वृत्तचित्र गवाही प्रस्तुत किया जाए]**	
10	यूनिक कोड नंबर – आरबीआई	
11	फर्म की आरबीआई श्रेणी	
12	जीएसटी नंबर **[जीएसटी पंजीकरण की प्रति जमा की जा सकती है]**	
13	स्थायी खाता संख्या (पैन) **[पैन की प्रति जमा की जा सकती है]**	
14	क्या वर्तमान में आरबीआई समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए कूलिंग अवधि के तहत है?	
15	क्या पहले भारतीय रिज़र्व बैंक में सांविधिक केंद्रीय/शाखा/समवर्ती लेखा परीक्षक के जैसे काम किया?	

16	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफसीए) भागीदारों का नाम और सदस्यता संख्या जो पैनल के वर्ष से ठीक पहले कैलेंडर वर्ष में फर्म से विशेष रूप से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 मे प्रदान किया जा सकता है]**	
17	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो पांच साल से अधिक और सात साल तक फर्म के साथ विशेष रूप से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
18	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से सात साल से अधिक और 10 साल तक फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
19	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो 10 से अधिक वर्षों से विशेष रूप से फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
20	नाम तथा सदस्यता संख्या का फर्म में कार्यरत योग्य सीए **[नियोजित सीए का विवरण फॉर्म-4 में प्रदान किया जा सकता है]**	
21	केवल लेखापरीक्षा सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य गतिविधियों जैसे परामर्श से अलग) [**दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं]**	
22	फर्म में कुशल कर्मचारियों की संख्या (समूह 2 का सीए इंटरमीडिएट या ऊपर)	
23	समवर्ती लेखा परीक्षकों/ सांविधिक केंद्रीय/ शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म के अनुभव के पूर्ण वर्षों की संख्या **[बैंक लेखा परीक्षा अनुभव का विवरण फॉर्म -5 में प्रदान किया जा सकता है]**	
24	बैंक के आठ या अधिक वर्षों के पूर्णकालिक भागीदारों का नाम और सदस्यता संख्या वैधानिक लेखा परीक्षा अनुभव।	
25	समवर्ती के रूप में आरबीआई लेखापरीक्षा में पिछले अनुभव का विवरणलेखा परीक्षक/ वैधानिककेंद्रीय/ शाखा लेखा परीक्षक।	

26	पूर्णकालिक का नाम और सदस्यता संख्या सीए पार्टनर्स जिन्होंने अतिरिक्त योग्यता हासिल कर ली है। **[अतिरिक्त योग्यता का विवरण फॉर्म -3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
27	क्या पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर को फटकार लगाई गई थी? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान किया जा सकता है।	
28	क्या पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर को फटकार लगाई गई थी? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान किया जा सकता है।	
29	क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर और/या सीए कर्मचारी को पेशेवर कदाचार का दोषी ठहराया गया था? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान किया जा सकता है।	
30	क्या सीए फर्म ने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले आरबीआई द्वारा सौंपे गए समवर्ती लेखा परीक्षा को लेने से इनकार कर दिया था या छोड़ दिया था? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान किया जा सकता है।	
31	क्या आपने वर्तमान में समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई भी अन्य आरबीआई कार्यालय/ विभाग में आवेदन किया है? यदि हां, तो उसका विवरण	
32	कोई भीअन्य प्रासंगिक जानकारी, दव्यापारिक प्रतिष्ठान संकेत देना चाहता है।	

मैं/ हम निम्नानुसार घोषणा करते हैं:

(1) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और हमें अतीत में किसी भी संगठन द्वारा डी-पैनल/ ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और हम समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में आरबीआई के साथ नियुक्ति के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। यदि बैंक को लगता है कि ऊपर दिए गए हमारे द्वारा प्रदान किए गए विवरण बाद की तारीख में गलत/ सही नहीं हैं, तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

(2) मैंने/ हमने बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ा है और मैं/ हम यह भी समझते हैं कि बैंक ने बिना कोई कारण बताए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक: सीए फर्म की मुहर के साथ

VII. फॉर्म-2

समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: वित्तीय बोली प्रपत्र

सीए फर्म का नाम	
पूरा पता	
भारतीय रिज़र्व बैंक में हमारी समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए मासिक पारिश्रमिक (सभी लागतों सहित और लागू करों को छोड़कर) **(राशि रुपए में - शब्दों और आंकड़ों में)**	**बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर 'इवेंट कैटलॉग' के अंतर्गत 'वित्तीय बोली' दर्ज करनी होगी**

***कृपया नीचे नोट देखें**

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर के साथ

दिनांक:

नोट: उपरोक्त वित्तीय बोली प्रपत्र केवल सूचना/ संदर्भ उद्देश्य के लिए है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है **कि वे सीपीपी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करते समय भाग I (यानी, तकनीकी बोली) के साथ** उपरोक्त 'वित्तीय बोली' (भाग-II) फॉर्म-2 में राशि का उल्लेख न करें।

भाग-I के साथ प्रस्तुत वित्तीय बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर 'इवेंट कैटलॉग' के तहत 'वित्तीय बोली' दर्ज करनी होगी।

VIII. फॉर्म-3: पूर्णकालिक भागीदारों का विवरण

पूर्णकालिक भागीदार का नाम	पुरस्कार देना की तिथि		कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सदस्यता संख्या	अन्य योग्यताएं *	बैंक सांविधिक लेखापरीक्षा में अनुभव के वर्षों की संख्या
	एसीए	एफसीए				

* केवल तभी इंगित करें जब भागीदार ने निम्नलिखित योग्यताएं हासिल कर ली हों

अतिरिक्त योग्यता	से
सूचना प्रणाली में डिप्लोमा (डीआईएसए)	आईसीएआई
प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए)	ISACA, यूएसए
प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए)	एआईसीपीए, यूएसए
प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए)	आईआईए, यूएसए
प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (सीएफई)	एसीएफई, यूएसए
(i) आईएनडी एएस (ii) फोरेंसिक लेखा और धोखाधड़ी की रोकथाम (iii) सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन (iv) बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा (v) धन शोधन रोधी कानून (vi) विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन (vii) माल और सेवा कर	आईसीएआई

IX. फॉर्म -4: पूर्णकालिक नियोजित सीए का विवरण

नियोजित सीए का नाम	शामिल होने की तिथि	सदस्यता संख्या	अन्य योग्यताएं	अनुभव

X. फॉर्म-5: बैंकों/ आरबीआई लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण

लेखापरीक्षा का प्रकार *	बैंक का नाम	शाखा/कार्यालय	बैंकों/आरबीआई लेखापरीक्षा में फर्म का अनुभव (से/आज तक)

* सांविधिक केंद्रीय/सांविधिक शाखा/समवर्ती लेखा परीक्षा

XI. वचनपत्र

(निविदाकर्ता द्वारा उनके पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

हम, मेसर्स ..... (फर्म का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय है..... ..... (फर्म का पता) वर्तमान में आरबीआई के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक/ समवर्ती लेखा परीक्षक नहीं हैं और उन्होंने 30 सितंबर 2024 से आरबीआई में इस तरह के लेखापरीक्षा नहीं किए हैं।

इसके अलावा, हमें वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान डीआईसीजीसी और एनएचबी में वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है/ नियुक्त नहीं किया गया है।

हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर उल्लिखित क्षमताओं में अतीत में सेवा प्रदान करने की स्थिति में, दो साल पहले की कूलिंग अवधि 30 सितंबर 2026 तक समाप्त हो गई है।

(फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

XII. सार्वजनिक संस्थानों (ओं) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचनपत्र
(निविदाकर्ता द्वारा उनके पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम: .....

1. मैं/हम ..... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि

a) मैं/ हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था द्वारा ..... की स्थिति के अनुसार प्रतिबंधित/ निलंबित/ काली सूची में नहीं डाली गई है। (बोली जमा करने की अंतिम तिथि।

b) मैंने/ हमने या हमारी किसी भी संबद्ध कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है..... (बोली जमा करने की अंतिम तिथि)।

c) हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/ हम या हमारी कोई सहयोगी फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था द्वारा कैप्शन किए गए कार्य के लिए काम देने से पहले या उससे पहले प्रतिबंधित/ निलंबित/ काली सूची में डाल दिया जाता है।

2. मैं/हम ..... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता है कि मैं/हम या हमारी कोई संबद्ध फर्म* ..... (संबद्ध फर्म का नाम ..... द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाल दिया गया है (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता)) और यह तब तक प्रभावी है..... (तारीख)। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से एक को हटा दें जो लागू नहीं है)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर इसकी एक नियंत्रित आवाज है। इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।

XIII. पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेज:

क्रम संख्या	विवरण	अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेज
1	श्रेणी-I सनदी लेखाकार(सीए) फर्म होने का प्रमाण	आईसीएआई प्रमाणपत्र
2	पैन पंजीकरण का प्रमाण	पैन कार्ड की कॉपी
3	जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
4	बोलीदाता कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी या एलएलपी अधिनियम या साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म के तहत पंजीकृत एलएलपी होना चाहिए	ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख/निगमन का प्रमाण पत्र/साझेदारी विलेख/इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति
5	भागीदारों का विवरण	i. साझेदारी विलेख और/या इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और ii. ICAI फर्म कार्ड
6	फर्म का अनुभव -वर्षों की संख्या	आईसीएआई फर्म कार्ड
7	पूर्णकालिक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए) भागीदारों की संख्या	i. ICAI फर्म कार्ड ii. ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख/ निगमन प्रमाण पत्र/ साझेदारी विलेख विलेख/ इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति
8	एक ही फर्म के साथ जुड़ाव -भागीदारों की संख्या	i. ICAI फर्म कार्ड ii. ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख/निगमन प्रमाण पत्र/साझेदारी विलेख/इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति।
9	वर्तमान में तैनात पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों की संख्या - प्रमुख पेशेवर कर्मचारी	i. सदस्यता संख्या और संबंधित आईसीएआई प्रमाण पत्र ii. नियुक्ति पत्र
10	कुशल कर्मचारियों की संख्या - आईपीसीसी के समूह II में योग्य	आईपीसीसी का समूह II i. ग्रुप II आईपीसीसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में आईसीएआई द्वारा जारी डिग्री/प्रमाण पत्र/अंकपत्र, और ii. फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र
11	बैंकों की लेखा परीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण इस प्रकार है i) सिस्टम / आईएस लेखा परीक्षक के रूप में	अनुभव के प्रयोजन के लिए, केवल वर्षों की संख्या पर विचार किया जाएगा, न कि संस्थानों की संख्या। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष वर्ष में फर्म ने तीन बैंकों में लेखापरीक्षा किया है, तो

	ii) समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में	विचार किए गए वर्षों के अनुभव की संख्या केवल एक होगी और तीन नहीं। संबंधित लेखापरीक्षा की गई फर्मों से फीडबैक के साथ अनुभव पत्र वर्षवार अपलोड किए जाने चाहिए।
12	समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में आरबीआई द्वारा आरबीआई की लेखा परीक्षा और प्रदर्शन मूल्यांकन में पिछले अनुभव का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक नियुक्ति पत्र और भारतीय रिज़र्वबैंक की लेखा परीक्षाओं के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ।
13	सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 या आईपीसीसी के ग्रुप II में योग्य कुशल कर्मचारियों की संख्या	फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र।
14	अन्य सहायकों की संख्या	फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र।
15	ईएमडी	ईएमडी को भेजने का प्रमाण सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा
16	एमएसएमई प्रमाणपत्र	एमएसएमई प्रमाणपत्र, यदि पंजीकृत है।

उपरोक्त के अलावा, निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे (फर्म की मुहर के साथ) और सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

XIV. बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान:_____ दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय
केरल-695033

महोदया/ महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम आरओ के लिए 1 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का संविदा

संदर्भ: एनआईटी/विज्ञापन संख्या. तारीख

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय (इसके बाद "आरबीआई" कहा जाता है) ने मैसर्स ..... (ठेकेदार का नाम) को शीर्षक वाले कार्य (इसके बाद "संविदा" कहा जाएगा) के लिए ठेका प्रदान किया है (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाता है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित शामिल होंगे)।

और जबकि उक्त संविदा के अंतर्गत ठेकेदार भारतीय रिज़र्वबैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय को एक निष्पादन बैंक गारंटी (**संविदा मूल्य का 5%)** प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

₹. _____ (रुपये..... _____केवल) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) संविदा में निहित नियमों और शर्तों की उक्त ठेकेदार द्वारा देय पूर्ति के लिए। हम, संविदा के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में..... (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), मैसर्स के अनुरोध पर, ठेकेदार, एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने का वचन देता है, जो राशि से अधिक नहीं है **₹.....**_____**(केवल रुपये) (आंकड़े और शब्दों में राशि)**।

अब यह गारंटी साक्ष्य है

1. हम ..... (बैंक का नाम) यहाँ घोषणा करते हैं और आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, अधिग्रहणकर्ताओं के साथ सहमति व्यक्त करते हैं कि यदि आरबीआई का निष्कर्ष होता है कि ठेकेदार ने उक्त संविदा की शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे तथा उक्त ठेकेदार दोनों के लिए बाध्यकारी होगा; तो हम आरबीआई के मांग करने पर, बिना किसी आपत्ति के, आरबीआई को ₹.____ (केवल रुपये) (आंकड़ों एवं शब्दों में राशि) या आरबीआई द्वारा मांगी गई किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि उपरोक्त रूप में ₹_____ (केवल रुपए) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और प्रमाण या साक्ष्य नहीं मांगेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक से नोटिस निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेंगे और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्वबैं क द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच करार या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।
4. इस गारंटी को हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं किया जाएगा।
5. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके तहत कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, मेल, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे स्थानीय पते पर पूर्वोक्त रूप से भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो इसे पोस्ट किए जाने पर दिया गया माना जाएगा।

हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

अ) उक्त संविदा की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा और/या इसके अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी शर्त और प्रावधानों के पालन में आरबीआई द्वारा कोई छूट या अनुग्रह या ठेकेदार को कोई समय या कोई अनुग्रह प्रदान करना या इससे संबंधित किसी अन्य मामले में हमारी किसी भी तरह से जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं होगी और हमारी इस गारंटी के अंतर्गत दायित्व बना रहेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के पूर्ण होने से ही समाप्त होगी और उनके विफल होने की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹._____(रुपये_____मात्र) (अंकों और शब्दों में राशि) की

राशि के भुगतान से समाप्त होगी। इन प्रस्तुत पत्रों के अंतर्गत हमारी दायित्व राशि ₹._____ (रुपये_____मात्र) (अंकों और शब्दों में राशि) से अधिक नहीं होगी।

आ) इन उपहारों के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या संविधान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

इ) यह गारंटी तब तक लागू रहेगी..... (संविदा अवधि की समाप्ति के बाद तीस दिन) बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाता है, तो इस गारंटी का नवीकरण एक और अवधि के लिए किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा उन्हीं निबंधन और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है जैसा कि इसमें निहित है।

ई) यहां निहित गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए आप इस तरह से कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम ठेकेदार के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे, जैसा कि हमारे द्वारा पूर्वगामी रूप से गारंटी दी गई है और हम एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से ज़मानत-जहाज और अन्य अधिकारों के हमारे सभी अधिकारों को माफ कर देते हैं, यदि कोई हो, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।

उ) यदि किसी भी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को उस समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं जब तक कि आपके द्वारा आवश्यक हो। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।

ऊ) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को _____ पर या उस दिन तक नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक _____ या किसी विस्तारित अवधि के भीतर हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां दिए गए सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्षी में, बैंक के मैंने/हमने ..... पर इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और सील कर दिए हैं का दिन..... (महीना) ..... (वर्ष) इसके साथ विधिवत प्राधिकृत किया जा रहा है।

के लिए और की ओर से।.....(बैंक का नाम)

प्राधिकृत बैंक के हस्ताक्षर और मुहर

कार्यालयीन नाम:

पदनाम:

बैंक की स्टाम्प/मुहर

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

1 साक्ष्यी 1

हस्ताक्षर

नाम:

पता:

साक्ष्यी 2

हस्ताक्षर

नाम:

पता:

(नोट: इस बैंक गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे) ।

****